

संस्कृत वाङ्मय में नारी जीवन

डॉ. रीजा
सहायक प्रवक्त्री (संस्कृत विभाग)
दयानन्द महिला महाविद्यालय
कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भारत
ई-मेल: reeja.skt17@gmail.com
दूरभाष: 8168196003

संक्षेपिका

वैश्विक स्तर पर जहाँ नारी पुरुषों के समकक्ष खड़ी होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है वही भारतीय साहित्य और समाज में भी महिला सशक्तिकरण का विषय एक आन्दोलन का रूप ले चुका है। इसी क्रम में सरकार भी महिला सशक्तिकरण व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य में भी अपने अधिकारों के लिए पितृसत्तात्मक समाज में वर्चस्व के विरुद्ध संघर्ष करने वाली एवं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली स्त्रियों के रूप में स्त्री सशक्तिकरण के उदाहरण संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलते हैं।

कुंजी शब्द: सशक्तिकरण, ब्रह्मवादिनी, दीक्षित, सृजन, योगिनी।

शोधपत्र

आधुनिक युग में नारी अस्मिता एवं अस्तित्व की अवधारणा भूमण्डलीकरण की सार्वभौमिकता से युक्त है। आज की नारी वैश्विक पटल पर अपने वजूद को स्थापित करने के लिये पारम्परिक अवधारणाओं को एक नये कलेवर में ढालकर जिन अधिकारों की बात कर रही है, वह केवल स्त्री विशेष के लिए नहीं हैं अपितु वह स्त्री के माध्यम से 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। किसी भी समाज की उन्नत एवं अवनत स्थिति को जानने के लिए तत्कालीन नारी की स्थिति एक आदर्श मापदण्ड है।

वैश्विक स्तर पर जहाँ नारी पुरुषों के समकक्ष खड़ी होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है वही भारतीय साहित्य और समाज में भी महिला सशक्तिकरण का विषय एक आन्दोलन का रूप ले चुका है। इसी क्रम में सरकार भी महिला सशक्तिकरण व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य में भी अपने अधिकारों के लिए पितृसत्तात्मक समाज में वर्चस्व के विरुद्ध संघर्ष करने वाली एवं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली स्त्रियों के रूप में स्त्री सशक्तिकरण के उदाहरण संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलते हैं। संस्कृत साहित्य की परम्परा पाँच हजार वर्ष से भी पुरानी है वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस समय समाज में नारी का स्थान अत्यन्त उत्कृष्ट, गौरवपूर्ण एवं पूजनीय था।

वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। उनको उस समय का उच्च ज्ञान 'ब्रह्मज्ञान' ग्रहण करने की अनुमति प्राप्त थी। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कन्याओं के लिए शिक्षा अनिवार्य मानी जाती थी। कन्या के माता-पिता ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उनकी पुत्री ब्रह्मवादिनी बने। यथा -

इच्छेद दुहिता में पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति।¹

तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥

उस समय में गुरुकुलों में छात्र-छात्राओं को समान रूप से प्रवेश लेने का अधिकार था। ज्ञानार्जन हेतु गुरुकुलों में बालिकाओं के प्रवेश तथा उनके ब्रह्मचर्य का वर्णन प्राप्त होता है –

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।²

वैदिक साहित्य में ऋषिकाओं के रूप में भी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। जिन्हें वेदमंत्रों का ज्ञाता व रचयिता माना गया है। वेदों में अनेक स्थलों पर रोमशा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, शाश्वती, अपाला, यमी, घोषा, सूर्या, इन्द्राणी, सरमा आदि विदुषियों के नाम प्राप्त होते हैं। वैदिक काल से ही स्त्री अपने उदात्त चरित्र, नैतिक आदर्श, शिक्षण, योग्यता, सृजन शक्ति की अपूर्व क्षमता आदि गुणों के कारण गौरवपूर्ण महिमा से मंडित रही हैं। यथा -

सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्र्वां भव ।

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदैवृषु ॥³

नारी तु नारायणी की जीवन्त परम्परा पर आधारित वाल्मीकि रामायण में महिला को धर्म ज्ञान, कानून दर्शन, राजनीति आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। आदि काव्य में प्रारम्भ में ही कहा गया है-

काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितम् महत् ।⁴

रामायण में यदि स्त्री सशक्तिकरण की बात करें तो सर्वप्रथम जानकी के चरित्र पर ध्यान केन्द्रित होता है, जिसमें हमें नारीत्व गुणों को संजोकर रखते हुए विवेकशील एवं श्रेष्ठ बुद्धि से सम्पन्न एक परिपक्व स्थिति का बोध होता है। वाल्मीकि रामायण में महिला के आर्थिक अधिकारों को संकीर्णता के भंवर में न रखकर पूर्णता की ओर अग्रसर किया गया है। राजनीति, धर्म, यज्ञ सर्वत्र स्त्री की सहभागिता का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है जो सम्पूर्ण जीवन अविवाहित रहकर यज्ञ कर्म, अध्ययन-अध्यापन, धर्म चर्चा व तपस्या में व्यतीत करती थी। स्वयंप्रभा और वेदवती इसी प्रकार की स्त्रियां थी। इसी प्रकार से रामायण में राम को अपने झूठे बेर खिलाने वाली शबरी के प्रसंग से ज्ञात होता है उस काल में महिलायें आश्रमों में रहकर पुरुषों की तरह सर्वोच्च ज्ञान में दीक्षित होने का अधिकार रखती थी। उस समय आश्रमों में रहकर स्त्रियां धर्म चर्चा में लीन रहती थी। रामायण में सशक्त स्त्रियों के रूप में कैकेयी, मन्दोदरी, सीता आदि के उदाहरण मिलते हैं। राजा दशरथ ने प्रौढ़ावस्था में कुमारी कैकेयी से राज्य शुल्क देकर विवाह किया था। एक बार जब राजा दशरथ युद्ध में इन्द्र की सहायता करने के लिए जा रहे थे, तब रानी कैकेयी भी उनके साथ गयी थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ युद्ध में घायल हो जाते हैं तब कैकेयी अपने साहस व कौशल से उन्हें युद्धक्षेत्र से बाहर ले आती है तथा राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा करती है।

अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान्नाष्ट चेतनः

तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षिस्त्वया ॥⁵

रामायण में मन्दोदरी का उल्लेख एक बुद्धिमता स्त्री के रूप में मिलता है, वह अपने पति रावण को सम्मानपूर्वक सीता को राम को लौटाने के लिए कहती है परन्तु रावण उनकी बात नहीं मानते। परन्तु स्वजनों की हानि से तथा भावी पराजय की आशंका से रावण जब राम से सन्धि की बात करता है तो वह उसके स्वाभिमान को चुनौती देकर स्वयं युद्धक्षेत्र में उतरने का प्रस्ताव रखती है।

इसी प्रकार से सीता आदर्श पतिव्रता होकर भी स्वाभिमानी व नारीत्व की गरिमा से ओतप्रोत है। अपनी पतिव्रता का प्रमाण देकर भी सीता ने राम के साथ रहना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में रहकर अकेले ही अपनी दोनों सन्तानों को शिक्षित, संस्कारित किया। इसके अतिरिक्त रामायण में स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों का वर्णन भी मिलता है। रामायण में वर्णित सांस्कृतिक वर्चस्व, प्रगतिशीलता, प्रभुत्व सहभागिता आदि ऐसे विषय हैं जो इस समय में स्त्री के आर्थिक अधिकारों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्त्री के आर्थिक अधिकारों को सशक्त करने के लिए उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति से परिपूर्ण होना अनिवार्य था। विवाह के पश्चात् एक नए परिवेश में जाने पर स्त्री को धन से सशक्त किया जाता था। जो उसके आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक था। एक प्रसंग में राम के विवाह का समाचार मिलने पर रानी कौशल्या संदेशवाहक को बहुत सारा धन, गांये, स्वर्ण आदि देती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री अपनी सम्पत्ति की स्वयं अधिकारी होती थी। रामायण में महिला सशक्तिकरण के जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं वो उसे एक सशक्त अर्थ में सम्पन्न महिला का स्वरूप प्रदान करते हैं।

महाभारत में द्रौपदी, गांधारी, सत्यवती, कुन्ती सशक्त महिलाओं के उदाहरण के रूप में वर्णित हैं। सत्यवती, अतिसेवा परायणा व दानपुण्यशीला स्त्री थी। उन्होंने पतन की ओर अग्रसर अपने वंश को अपनी बुद्धि के बल से पुनः जीवित कर दिया। सत्यवती को शास्त्रविहित नियोग विधि का भी ज्ञान था। द्रौपदी विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक अपने पांचों पुत्रों को क्षत्रिय गुणों का विकास करते हुए उन्हें न्याय व अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सिखाती है। सभा में अपमानित होने पर कुन्ती एक निर्भीक स्त्री के रूप में पिता तुल्य पुरुषों एवं गुरुजनों को धिक्कारती है व पाण्डवों की वीरता के चुनौती देती है। उसका आक्रोश उसकी अस्मिता का परिचायक है। इसी प्रकार शकुन्तला एक ऐसी स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत करती है जो राजा दुष्यन्त से भरी सभा में वाद-विवाद करके अपनी तर्कशक्ति व शास्त्र-ज्ञान का परिचय देते हुए अपने पुत्र भरत को उसका अधिकार दिलवाती है। योगिनी सुलभा मिथिला के राजा धर्मध्वज की सभा में मोक्षशास्त्र में अपनी विद्वता का परिचय देती है। योग्यवर न मिलने पर वह आजीवन ब्रह्मचारिणी होकर जीवन व्यतीत करती है। महाभारत में स्त्रियां उनके दायित्व, अधिकार, जीवननिर्वहन में उनका योगदान, कर्तव्यपरायणा, विदुषी आदि रूपों में वर्णित हैं।

बाद के साहित्य में महामुनि बाण भट्ट भवभूति जैसे महाकवियों के ग्रन्थों में भी स्त्री सशक्तिकरण के उदाहरण देखने को मिलते हैं। बाणभट्ट की कादम्बरी में महाश्वेता और कादम्बरी ऐसे स्त्री पात्र हैं जो पुरुषतंत्र से परे हैं। भवभूति के नाटकों में एक स्त्री पात्र आत्रेयी है, जो वाल्मीकि तपोवन से चलकर दण्डकारण्य में अकेली वेदान्त की शिक्षाग्रहण करने के लिए दूसरे तपोवन में जाती है। एक अन्य महिला पात्र भामंदकी है जो अपने गुरुकुल में आन्वीक्षिकी शास्त्र की शिक्षा प्रदान करती है जिस पर उस समय में केवल पुरुषों का ही अधिकार माना जाता था। इस प्रकार यहाँ नारी का ऐसा स्वरूप दृष्टिगोचर होता है जिसे हम समाज की भित्ति कह सकते हैं। तत्कालीन समाज में नारी समाज का महत्वपूर्ण अंग थी जिसकी सहभागिता समान रूप से सभी कार्यों में थी। कालिदास के तत्कालीन समाज में स्त्री के वचनबद्धता का मानना पुरुष का प्रमुख धर्म था। जैसे कैकेयी के वचन का अनुपालन करते हुए राजा दशरथ राम को चौदह वर्ष का वनवास देते हैं। उसी प्रकार अभिज्ञान शाकुन्तलम् में शकुन्तला, प्रियंवदा, अनुसूया शिक्षित नारियां हैं। जिन्होंने ऋषि कण्व से शिक्षा ग्रहण की। मालविकाग्निमित्रम् में 'परिव्राजिका' का वर्णन मिलता है जो कि एक विधवा स्त्री थी लेकिन इतनी बड़ी विदुषी थी कि विद्वानों की

योग्यता का परीक्षण करती थी। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में नारी को विशेष स्थान प्राप्त था। सम्पूर्ण विमर्श के केन्द्र में स्त्री सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया है -

काव्यं यशसे अर्थं कृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥⁶

अर्थात् काव्य कान्ता के समान उपदेश देता है।

निष्कर्ष

अतः संस्कृत साहित्य के उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि उस समय में भी स्त्री सशक्तिकरण का ज्वलंत स्वरूप थी। संस्कृत साहित्य में स्त्री को विशिष्ट एवं उच्च स्थान प्राप्त था। तत्कालीन समाज में स्त्री अपने ऊपर हुए अत्याचार व दुर्यवहार को चुपचाप सहन न करके अपने जीवन में उसका विद्रोह करती थी व अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करती थी। आधुनिक समय में स्त्री को पुरुषों की भांति समान अधिकार प्राप्त हुए हैं तो आज आवश्यकता है स्त्री को नये सिरे से परिभाषित करने की। स्त्रीत्व जिसका अपने आप में एक पृथक् अस्तित्व हो, अपना स्वाभिमान हो, अपनी उपयोगिता, अपने अधिकार हो। वैदिक साहित्य, महर्षि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, महाकवि भवभूति ने अपनी रचनाओं में स्त्री सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, सीता, द्रौपदी, शकुन्तला आदि स्त्रियों को सशक्त नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। जिन्होंने उस समय में अपनी शक्ति, सामर्थ्य व बुद्धि कुशलता का परिचय देते हुए अपने वर्चस्व को स्थापित किया। इन स्त्रियों के चरित्र वर्तमान में भी प्रेरणीय व अनुकरणीय है।

संदर्भ सूची:-

1. अथर्ववेद, 11.5.18
 2. अथर्ववेद, 11.5.18
 3. ऋग्वेद, 10.85.46
 4. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, 4.7
 5. वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काण्ड, 9.16
 6. काव्यप्रकाश, 1.2
-